

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4219 /
II-13-36/60 -XIX

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

श्री राहुल वर्मा आत्मज श्री किशोर वर्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर का त्यागपत्र दिनांक 21.06.2019 अपरान्ह से स्वीकृत किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Per

पृष्ठांकन क्रमांक D/4220 /
II-13-36/60 -XIX

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक प्रशा./03-ए/1195 इंदौर, दिनांक 25.06.2019 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/-कम-पीपीएस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. अनुभाग अधिकारी, स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल, महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री राहुल वर्मा आत्मज श्री किशोर वर्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर(म.प्र.) पत्राचार का पता: QUARTER NO. 41, TYPE 2, MALFAM C PWD COLONY, RESIDENCY AREA, INDORE M.P. 452001, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
Per

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4221 /

जबलपुर, दिनांक 05 / 07 / 2019

श्री चेतन आत्मज श्री तनवार सिंह को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 7(2)(एक) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर जिलाध्यक्ष इंदौर द्वारा निर्धारित दर पर 89 दिन के लिये नियुक्त करते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है। उनकी सेवायें कार्य एवं आचरण तथा कार्य संपादन संतोषप्रद पाये जाने पर बढाई जावेगी तथा उनकी संवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्र D/4222 /

जबलपुर, दिनांक / 07 / 2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर, इंदौर(म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
4. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. अनुभाग अधि. स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. SHRI CHETAN S/O SHRI TANWAR SINGH, GRAM-KHANKHAI, POST-SARWAN, TEHSIL-SAILANA, DIST-RATLAM M.P. 457001,

चयनित अभ्यर्थी 15 दिवस के अन्दर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर कार्यभार ग्रहण करें,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक D/4223 /

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवायें रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1526 जबलपुर, दिनांक 27.03.2019 के तारतम्य में उनकी नियुक्ति दिनांक से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 7(2)(एक) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर जिलाध्यक्ष जबलपुर द्वारा निर्धारित दर पर निरंतर रखते हुये, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है। उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी :-

क्र.	नाम
1	2
1	श्री रामू यादव आत्मज श्री इन्द्रपाल यादव
2	श्री दिनेश विष्ट आत्मज श्री शेर बहादुर विष्ट

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(राजेन्द्र कुमार वाणी) 5/7/19

रजिस्ट्रार जनरल

पृ.क्र. D/4224 /

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. श्री रामू यादव आत्मज श्री इन्द्रपाल यादव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. श्री दिनेश विष्ट आत्मज श्री शेर बहादुर विष्ट, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)
Ru

--::

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4225 /

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

श्री गौरव सोनी, सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर से मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट (एम.ओ.एम) अंग्रेजी शीघ्रलेखन की परीक्षा सत्र-2018-19" में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से सम्मिलित होने की अनुमति सहानुभूतिपूर्वक विचार कर विशेष प्रकरण मानते हुये निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Pare

पृष्ठांकन क्रमांक D/4226 /

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री गौरव सोनी, सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Pare

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4227 /

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

श्री नदीम अहमद, सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal से मान्यता प्राप्त Rajeev Gandhi Institute of Science and Technology से पी.जी.डी.सी.ए. एक वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र-2019-20 में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/4228 /

जबलपुर, दिनांक /07/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. ज्वार्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री नदीम अहमद, सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4229 /
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

श्री गोपाल ताम्रकर सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर विशेष प्रकरण मानते हुये उन्हें "आई.टी.आई कॉलेज छीमका से हिन्दी शॉर्टहेण्ड की परीक्षा-2019 में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
Per

पृष्ठांकन क्रमांक D/4230 /
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 3252/34/स्था. ग्वालियर, दिनांक 10.06.2019 के संदर्भ में।
 2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
 4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. श्री गोपाल ताम्रकर सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4231 /

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

श्री हेमंत सिंह सोलंकी, सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "Makhanlal Chaturvedi Rastriya Patrikarita Vishwavidyala से मान्यता प्राप्त संस्था Design Edutech Computer Institute, Ranjhi Jabalpur से पी.जी.डी.सी.ए. एक वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र-2019-20 में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।



(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/4232 /

जबलपुर, दिनांक 05/07/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री हेमंत सिंह सोलंकी, सहायक ग्रेड-तीन (जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)